10 3/2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 आज भी उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1, 7, 8, 9 की तामील के नोटीस जरिए रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किए गए। ए.डी. अथवा अदम नोटीस प्राप्त नहीं। रजिस्ट्री दिनांक 23.12.2020 को कराई गई, जिसे एक माह से अधिक समय हो चुका है, अतः इनकी तामील मानी जाती है। आज उपस्थित भी नहीं। अतः विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी।

2020/00012

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 अनुसार ग्राम बराडा प.ह. ओछडी तहसील चित्तौडगढ़ की आ.नं. 168 रकबा 3.30 हे. आ.नं. 169 रकबा 0.06 हे. प्रार्थी एवं विपक्षीगण 4 से 9 के सहखातेदारी की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम बराडा प.ह. ओछडी स्थित सहखातेदारी की आराजी नम्बर 168, 169 कीता 2 रकबा 3.36 हे. भूमि की बिना किसी कब्जे मे दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढी शुल्क 1000.00 रुपए अक्षरे एक हजार रुपए प्रार्थी वहन करेगा। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौडगढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.03.17 13:03:33 IST
Reason: SelfAttested